संख्या-03/2023/36/001-22-4-2023-05WRIT-2018

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0 प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी, 2023

विषय:-जनपद बरेली की पुरानी जिला करागार को फिर से चालू किये जाने हेतु पुराने भवनों की मरम्मत एवं निर्माण किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-115/2022/1434/001-22-4-2022-5writ-2018, दिनांक 23.12.2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जनपद-बरेली की पुरानी जिला कारागार को फिर से चालू किये जाने हेतु पुराने भवनों की मरम्मत एवं नवीन निर्माण कराये जाने हेतु आकलित लागत की धनराशि रू0 17215.41 लाख (वर्तमान जी0एस0टी0 18 प्रतिशत) की प्रशासकीय स्वकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0-20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करतीं है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पीएफएडी के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दि0 21-06-2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26-08-2014 एवं दि0 15-06-2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(10) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा0 दि0 23-08-2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(11) निर्माणकार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाले धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए कि आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाए।

(12) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(13) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।

(14) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए।

(15) महानिरीक्षक, कारागार व्यय वित्त समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

(16) प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक है। अत: वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/दस-2019,दिनांक-13.12.2019 के अनुसार ई0पी0सी0 मोड द्वारा कराया जाना होगा। अत: लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(17) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से निर्माण लागत पर जी0एस0टी0 की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र-177/09/2022टीआरयू0, दिनांक-03.08.2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यों पर दिनांक-18.07.2022 से जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके द्वारा जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गयी है। जी0एस0टी की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा महानिरीक्षक, कारागार द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(18) प्रायोजना में पूर्व निर्मित भवनों का ध्वस्तीकरण प्रस्तावित है। ध्वस्तीकरण हेतु महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त विभाग के सम्बिन्धत शासनादेश/विद्यमान नियमों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जाय।

(19) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्य मद तथा सिक्योरिटी सर्च इक्विपमेंट/मशीन/फर्नीचर (सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, वीडियो कान्फ्रेंसिंग यूनिट, प्रिजन गेट सिक्योरिटी सिस्टम, वायरलेस सेट अरेंजमेंट, इन्टरकॉम यूनिट, कम्प्यूटर हार्डवेयर, प्रिजनर फैसिलिटी सिस्टम,

मार्डन रेस्टोरेन्ट हेतु टूल एवं मशीन, हास्पिटल इक्विपमेंट, प्रिजनर ऑफिस एवं हास्पिटल फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0 कमाण्ड सेन्टर/वाईफाई लाइन फार वीडियो कान्फ्रेंसिंग इत्यादि), सोलर पावर सिस्टम, यू0पी0एस0, फेन्सिंग एण्ड सेफ्टी कवर, वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम एमेनिटी आदि की लागत अनुमन्य नहीं की गयी है।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का प्रशिक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(21) प्रयोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवटंन के उद्देश्य से किया गया है। प्रयोजना का सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-512-X-2022-23, दिनांक: 05.01.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-03/2023/36/001-22-4-2022-05WRIT-2018, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, बरेली।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार, मुख्यालय, लखनऊ।
(9) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।